वन भूमि की विस्तृत आख्या/औचित्य

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में देघाट–तल्ली चम्याड़ी नारायण मन्दिर–सैरामुनानी–मालभीड़ा–धारकोट–मालीखेत–नागचूलाखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (5.2731है0)(लम्बाई 18.500किमी.)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 299/लो0नि0–2/2004–16(प्रा.आ.)/2004 दिनांक 28.02.2004 के द्वारा 18.500 किमी. लम्बाई हेतु रूपया 469.72 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

यह मोटर मार्ग तल्ली चम्याड़ी से नागचूलाखाल तक लगभग 11–12 ग्रामसभाओं को लाभ पहुँचायेगा। इस मार्ग की मांग स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बार–बार की जा रही है जिस हेतु इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तीन–चार जगह से सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसमें सही समरेखन को देखते हुए कम–से–कम वन भूमि तथा वृक्ष प्रभावित हाने पर विभागीय मानकों के आधार पर एवं जनता के बीच–बातचीत कर सर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात् समरेखन स्वीकृत कराया गया।

इस प्रकार किये गये समरेखन में 3.570है0 सिविल बेनाप भूमि तथा 1.7031है0 वन पंचायत भूमि, कुल 5.2731है0 भूमि प्रभावित होती है तथा 9.870है0 नाप भूमि प्रभावित होती है।

अतः उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.2731है0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव गठित किया गया है।

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वृत्त प्रभाग अल्मोड़ा

उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा